रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, सोमवार, मई 13, 2019/वैशाख 23, 1941
No. 300] NEW DELHI, MONDAY, MAY 13, 2019/VAISAKHA 23, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2019

सा.का. नि. 360(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा को समाप्त करने के पश्चात, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में, खण्ड (घ) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण** – शंकाओं के दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "क्लोरीनीकृत प्लास्टिक थैलियों" अभिव्यक्ति में मूत्र थैलियां, बहि:स्राव थैलियां, उदरीय थैलियां और वक्षीय जल निकास थैलियां सम्मिलित नहीं होंगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 3 की क्रम सं. 4 के सामने, स्तंभ (3) की मद सं. (vii) में, जो "महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा प्रचालित चिकित्सा निरीक्षण (एमआइ) कक्षों, जहाजों पर रोगी कक्ष या पनडुब्बी, स्टेशन चिकित्सा केन्द्रों तथा अग्रिम स्थानों में स्थित क्षेत्र अस्पतालों को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण और निगरानी (नियम 9)" में "(vii)" कोष्ठक औरअंक के स्थान पर "(viii)" कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 3-1/2000-एचएसएमडी]
अरविन्द कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) तारीख, 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 234 (अ) तारीख 16 मार्च, 2018 और सं. सा.का.नि. 129 (अ) 19 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2019

G.S.R. 360(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, namely:–

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in clause (d), the following Explanation shall be inserted, namely:-

"**Explanation.-** For removal of doubts, it is hereby clarified that the expression "Chlorinated plastic bags" shall not include urine bags, effluent bags, abdominal bags and chest drainage bags.".

3. In Schedule III to the said rules, against serial number 3, in column (3), in item (viii), for the brackets and letters "(viii)", the brackets and letters "(vii)" shall be substituted.

[F. No. 3-1/2000-HSMD]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 234(E), dated the 16th March, 2018 and number G.S.R. 129(E), dated the 19th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.14 11:19:20 +05'30'